न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 136 / 2024

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी:

1. पेमाराम पुत्र श्री वीरमाराम जाति जाट निवासी भलखाड़ी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण:

1. निम्बाराम पुत्र विरधाराम जाति राईका
2. प्रहलादराम पुत्र विरधाराम जाति राईका
3. पूरोदेवी पत्नी विरधाराम जाति राईका
4. दरिया कंवर पत्नी आम्बसिंह जाति राजपूत
5. राणसिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपूत निवासीयान निम्बली तहसील सिणधरी
6. श्रवणसिंह पुत्र सतीदानसिंह जाति राजपूत
7. संतोष कंवर पत्नी सतीदानसिंह जाति राजपूत
8. स्वरूपसिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपूत
9. सवाईसिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपूत निवासीयान पायलाखुर्द तहसील सिणधरी
10. कसुम्बीदेवी पत्नी उतमाराम जाति दर्जी
11. चुतराराम पुत्र उतमाराम जाति दर्जी
12. जेसाराम पुत्र उतमाराम जाति दर्जी
13. देवाराम पुत्र उतमाराम जाति दर्जी
14. भैराराम पुत्र जोधाराम जाति दर्जी
15. मोटाराम पुत्र जोधाराम जाति दर्जी निवासीयान निम्बली तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
16. ओमप्रकाश पुत्र हराराम जाति माली
17. पारसमल पुत्र हराराम जाति माली
18. मांगीदेवी पत्नि हराराम जाति माली
19. रतनलाल पुत्र हराराम जाति माली निवासीयान जेतेश्वर धाम सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
20. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट
21. मूलाराम [illegible] जाति जाट
22. आदुराम पुत्र [illegible] जाति जाट
23. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट
24. [illegible] पुत्र [illegible] जाति जाट
25. डालूराम पुत्र मोतीराम जाति जाट
26. दुर्गाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट
27. धूड़ीदेवी पुत्री मोतीराम जाति जाट
28. नारणाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

29. पनी पत्नी जेताराम जाति जाट
30. पेमाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट
31. पुरखाराम पुत्र जेताराम जाति जाट
32. मूलाराम पुत्र वीरमाराम जाति जाट
33. सणगारीदेवी पत्नी मोतीराम जाति जाट
34. सुरताराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासीयान भलखाड़ी तहसील सिणधरी
35. तहसीलदार सिणधरी
36. भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी जिला बालोतरा जरिए मैनेजर / शाखा प्रबंधक
37. दी सैण्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि शाखा सिणधरी जिला बालोतरा जरिए मैनेजर / शाखा प्रबंधक
38. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी जिला बालोतरा जरिए मैनेजर / शाखा प्रबंधक

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति--

1. श्री गजेन्द्र कंवर, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक 29.10.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा ग्राम भलखाड़ी पटवार हल्का पायला खुर्द भू अभि. निरी. क्षेत्र पायला कला, [illegible] सिणधरी के खेत खसरा संख्या 29 / 1 क्षेत्रफल 9.5947 हैक्टेयर खातेदारी की अवस्थित है। [illegible] के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है [illegible] कि कोई पक्की माते या सीमा चिंन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान [illegible] तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा भलखाड़ी पटवार हल्का पायला खुर्द भू अभि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

क्षेत्र पायला कलां, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 29/1 क्षेत्रफल 9.5947 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा भलखाड़ी पटवार हल्का पायला खुर्द भू अभि. निरी. क्षेत्र पायला कलां, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 29/1 क्षेत्रफल 9.5947 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम भलखाड़ी पटवार हल्का पायला खुर्द भू अभि. निरी. क्षेत्र पायला कलां, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 29/1 क्षेत्रफल 9.5947 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा ग्राम भलखाड़ी पटवार हल्का पायला खुर्द भू अभि. निरी. क्षेत्र पायला कलां, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 29/1 क्षेत्रफल 9.5947 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:18 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया [illegible] पटवार हल्का पायला खुर्द भू अभि. निरी. क्षेत्र पायला कलां, तहसील सिणधरी के खेत [illegible]रा संख्या 29/1 क्षेत्रफल 9.5947 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण

से जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर दी जावे। कमिश्नर फीस 500/-रूपये मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिवाना

आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:18 IST
Reason: SelfAttested